अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1371(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई,1996 की अधिसूचना सं0 सा0आ0469 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मारिया सेवा संघ,विल्ला मारिया,सं012, रेसट हाऊस रोड़,बंगलौर-560001 द्वारा बंगलौर के तीन स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 11 मई,1999 की अधिसूचना सं0सा0आ0 317 (अ0) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0सा0आ0 552 (अ0) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; तथा जिसे बाद में दिनांक 13 जून,2003 की अधिसूचना सं0सा0आ0 688 (अ0) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और, जबकि सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए 15.00 लाख रूपए की अनुमोदित लागत को बढ़ाकर 30.00 लाख रूपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) एतद्द्वारा मारिया सेवा संघ,विल्ला मारिया,सं012, रेस्ट हाऊस रोड,बंगलौर-560001 द्वारा बंगलौर के तीन स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम अथवा परियोजना को दिनांक 2 जुलाई,1996 की कथित अधिसूचना सं0सां0आ0469 में पुनः संशोधन करते हुए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करती है:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं0 5 के सामने कॉलम (4) में समिति तथापि परियोजना की अनुमोदित लागत 15.00 लाख रूपए से बढ़ाकर 30.00 लाख रूपए करती है ; अर्थात् परियोजना की अनुमोदित लागत को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 323/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]
ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)